न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 06/2023

अनवान : –

1. पप्पूराम पुत्र बीरबल जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. बीरबल पुत्र दुर्गाराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 27/08/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता स0 44/39 के ख0न0 143/2 की 8.7880 हैक्ट भूमि, ख0न0 144/217 की 7.3460 हैक्ट भूमि कुल 16.1340 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायलान के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता स0 44/39 के ख0न0 143/2 की 8.7880 हैक्ट भूमि, ख0न0 144/217 की 7.3460 हैक्ट भूमि कुल 16.1340 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि में से अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि को रहन, बैय व मुंतकिल न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता जी को [illegible] की वृद्ध व्यक्ति है उत्तरदाता के पास अपने जीवनयापन के लिये व भात आदि व आवश्यकताओं की पूर्ती के लिये भूमि है जिससे वह अपने परिवार का सम्पूर्ण खर्च [illegible] उत्तरदाता के जीवनकाल में सायल का कोई हक व हिस्सा नही है तथा सायल ने उक्त भूमि पर केसीसी ले रखी है जिससे प्राप्त रूपयो का उपयोग सायल कर रहा है तथा उक्त भूमि बाबत् सायल व उतरदाता का एक घरेलु बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:24:51 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दिनांक 07.07.2020 को नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक किया हुआ है जिसके मुताबिक रोही मोजा नगरासरी तहसील नोहर की कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि पर आज दिनांक 07.07.2020 को सायल के रिस्तेदारो व घर परिवार द्वारा घरेलु बंटवारा कर उक्त कृषि भूमि पर उतरदाता के नाम से केसीसी बनवाकर उक्त कृषि भूमि की केसीसी की राशि सायल को दे दी गई थी जिसका बीमा, ब्याज आदि में सायल समय–समय पर अदा करेगा तथा इसमें लगने वाली पेनेल्टी या ब्याज की समस्त जिम्मेदारी सायल की होगी तथा उक्त केसीसी की राशि का आगामी एक वर्ष का बीमा सायल को दिया गया है तथा जब तक केसीसी राशि सायल केसीसी की दिनांक 07.07.2020 से 3 वर्ष तक समय में बैंक में जमा करवाकर नो ड्यूज लाकर रहनमुक्त करवा देगा तथा अगर सायल केसीसी जमा नही करवाता है तो उतरदाता सायल के हक व हिस्से की भूमि का बैय कर सकेगा तथा उक्त केसीसी की राशि जमा करवा सकेगा जिसके पश्चात् सायल का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही होगा। लेकिन सायल ने उक्त केसीसी जमा करने से मना कर दिया है जिसके बाद मुताबिक घरेलु बंटवारा सायल का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। गैरसायल स0 1 रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्मजात हक हिस्सा है अप्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि की केसीसी बनाकर समस्त केसीसी प्रार्थी को दे दी गई है इसलिए प्रार्थी अब उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा लेने का अधिकारी नही है। जमाबंदीयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में अप्रार्थी स0 1 के पिता के नाम दर्ज रही है और उनके बाद सायल के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:24:51 IST
Reason: SelfAttested

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा के सन्तुलन से [illegible] कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा [illegible] प्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता स0 44/39 के ख0न0 143/2 की 8.7880 हैक्ट भूमि, ख0न0 144/217 की 7.3460 हैक्ट भूमि कुल 16.1340 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 27/08/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:24:51 IST
Reason: SelfAttested